84

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध(भत्ता)–42/2016–   खाद्य, पटना/दिनांक–

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः– डोर स्टेप डिलेवरी योजना, 2016 के अंतर्गत निगरानी समिति के सदस्यों, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं लाभुकों को SMS के माध्यम से खाद्यान्न से संबंधित सूचना भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक– 4027 दिनांक 16.08.2017 एवं 2232 दिनांक–17.05.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 अन्तर्गत जी०पी०एस० युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाने के साथ निगरानी समिति के सदस्यों के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं लाभुकों को SMS के माध्यम से खाद्यान्न से संबंधित सूचना भेजने हेतु निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–29 एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका–7(4) तथा बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की पारदर्शिता एवं उचित कार्यकरण हेतु कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सतर्कता समिति का गठन विभागीय अधिसूचना सं0–3614 दिनांक 25.07.2017 द्वारा करते हुए प्रत्येक माह सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया जाना प्रावधानित किया गया है । साथ ही, लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Computerization के आलोक में Supply Chain Management के अन्तर्गत उक्त समितियों में नामित जन प्रतिनिधियों के मोबाईल संख्या को Update किया जाना है, ताकि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से संबंधित सूचना SMS के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। निगरानी समिति के सदस्यों, संबंधित पदाधिकारियों एवं लाभुकों के मोबाईल संख्या में परिवर्तन इत्यादि के कारणों से खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से संबंधित सूचना सभी संबंधितों को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि सतर्कता समिति के अन्तर्गत चयनित एवं नामित जन प्रतिनिधियों, संबंधित पदाधिकारियों, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं लाभुकों के मोबाईल संख्या को महाप्रबंधक (आधुनिकीकरण), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को Supply Chain Management के अन्तर्गत जोड़ने हेतु उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध(भत्ता)–42/2016–   खाद्य, पटना/दिनांक–

प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध(भत्ता)–42 / 2016– 2915 खाद्य, पटना / दिनांक– 03/07/19

प्रतिलिपि – महाप्रबंधक (आधुनिकीकरण), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सतर्कता समिति के सभी चयनित एवं नामित जन प्रतिनिधियों, संबंधित पदाधिकारियों, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं लाभुकों के मोबाईल संख्या को Supply Chain Management के अन्तर्गत Update करने की कार्रवाई की जाय।

ह०/- 02/7/XIX

सरकार के अपर सचिव।